कुशल युवा कार्यक्रम

(डिजिटल मित्र)

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

Scanned with CamScanner

विषय सूची

क्र०सं०	विवरणी	पृष्ठ
1	कार्यक्रम का परिचय एवं योजना	03
2	प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा	04
3	प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता	05
4	मूल्यांकन एवं प्रमाणन	05
5	प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन	05
6	प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन शुल्क	07
7	प्रशिक्षण केन्द्रों का पंजीयन एवं वार्षिक नवीनीकरण	07
8	प्रशिक्षण केन्द्रों से कोर्स पंजीयन शुल्क	08
9	पोर्टल उपयोग शुल्क	09
10	सुरक्षा जमा राशि	09
11	प्रशिक्षक की योग्यता	09
12	प्रशिक्षण शुल्क राशि (दर)	09
13	प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान	10
14	ट्रेनिंग कैलेण्डर	10
15	पठन–पाठन सामग्री का वितरण	11
16	मासिक किराया	11
17	केन्द्र का आधारभूत संरचना	12
18	अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण	13

Scanned with CamScanner

कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

(पूर्व के कुशल युवा कार्यक्रम का NSQF के अनुरूप संशोधित स्वरूप)

परिचय –

योजना – उद्देश्य, प्रमुख साझेदार, प्रशिक्षण केन्द्र–प्रक्रियाएं एवं मानदंड

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–BSDM/SDM-65/2022-3291 पटना, दिनांक–19.08.2026 के द्वारा सात निश्चय–3 के निश्चय '1' **दोगुना रोजगार–दोगुना आय** के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पाँच वर्षो (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल अनुमानित राशि रू0 430.0833 करोड़ (रूपये चार सौ तीस करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

कार्यक्रम संचालन हेतु चिन्हित स्थल

कार्यक्रम का संचालन प्रखण्ड स्तरीय मॉडल विद्यालयों, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों, अभियंत्रण महाविद्यलयों, राजकीय/अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्रों में किया जायेगा। इन केन्द्रों का संचालन निजी प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा किया जायेगा और भवन को छोड़कर बाकी सभी संसाधन इनके निजी होंगें।

Scanned with CamScanner

कार्यक्रम के घटक एवं पाठ्यक्रम (Course Structure) :-

कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) :–

Sl. No.	Particulars	Basic Details
1	Qualification Name	Digital Mitra
2	Sector	IT/ITeS
3	NSQF	Level-3
4	Eligibility Criteria for Entry of Trainee	10th Pass & 1.5 Years' experience or 12th Pass
5	Duration	270 hrs. (Theory: 80 hrs. Practical: 100 hrs. Employability Skills: 30 hrs. On Job Training (Mandatory): 60 hrs.)

प्रशिक्षण संचालन एवं क्षमता मानक

- प्रति संस्था क्षमता:– 20/30 अभ्यर्थियों का बैच
- पालियॉ (Shifts):– 02 पालियॉ (प्रति पाली 4 घंटे)
- प्रशिक्षण अवधि:– 270 घंटे प्रति बैच
- वार्षिक चक्र:– 4 प्रशिक्षण चक्र
- वार्षिक लक्ष्य:– 2,57,440

प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा

सामान्य वर्ग– 15 से 28 वर्ष

विशिष्ट वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा में निम्न प्रकार से छूट दी गई है:–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति:– 33 वर्ष
- दिव्यांग:– 33 वर्ष
- पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग:– 31 वर्ष

Scanned with CamScanner

- जिला पंजीकरण सह परामर्श केन्द्र (DRCC) में पंजीकृत अभ्यर्थी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगें।

प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यताः– 10वीं उत्तीर्ण के साथ 1.5 वर्ष का अनुभव अथवा 12वीं उत्तीर्ण।

मूल्यांकन एवं प्रमाणन

- कार्यक्रम के प्रशिक्षण का एकीकृत मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण IT-ITeS सेक्टर स्किल कॉउन्सिल (SSC NASSCOM) द्वारा किया जायेगा।
- सेक्टर स्किल कॉउन्सिल के कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स अनुसार निर्धारित दर पर बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा वहन किया जायेगा।
- प्रशिक्षार्थी के पुनः मुल्यांकन होने पर मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण का भुगतान प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा किया जायेगा
- बिहार कौशल विकास मिशन को अवार्डिंग एवं एस्सेस्सिंग बॉडी की मान्यता प्राप्त होने के उपरांत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण मिशन के द्वारा किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन

- पूर्व से संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के केन्द्रों के प्रत्येक संचालकों को दो केन्द्रों की सीमा तक नये पाठ्यक्रम के आधार पर स्वतः नवीनीकरण हेतु पात्र होने पर अनुमति दी जायेगी। इस हेतु सर्वप्रथम सभी इच्छुक संचालकों को 1–1 केन्द्र उनके द्वारा पूर्व से संचालित केन्द्रों में से दिये गये प्राथमिकता/विकल्प के अनुसार आवंटित किये जायेगें। तत्पश्चात् द्वित्तीय चरण में पूर्व से एक से अधिक केन्द्र संचालन कर रहे संचालकों को एक–एक अतिरिक्त केन्द्र (उपलब्धता के आधार पर) जिसे सरकारी संस्थानों में संचालित करने हेतु आवंटित किये जायेगें।

Scanned with CamScanner

- सरकारी संस्थानों में केन्द्रों के संचालन के लिये चयनित स्थलों यथा– प्रखण्ड स्तरीय मॉडल स्कूल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय/अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय एवं प्रखण्ड स्थित कौशल विकास केन्द्र पर चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- पूर्व से कार्यरत संचालकों को यथासंभव उनके पूर्व के प्रखण्डों में समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा।
- बिहार वित्त नियमावली के नियम (131 'ZZ') के तहत पूर्व से संचालित संस्थाओं को नामांकन के आधार पर केन्द्र संचालन की अनुमति दी जायेगी।
- संचालन किये जाने वाले केन्द्रों का सत्यापन क्वालिटी कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (QCI)/अन्य एजेंसी द्वारा नियमित रूप से करा लिया जायेगा।
- चयन के पश्चात् केन्द्रों को बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया

- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा केन्द्रों का लॉग–इन आई0डी0 एवं पासवर्ड जेनरेट कर दिया जायेगा।
- केन्द्रों द्वारा संस्था का वर्णन, आवश्यक दस्तावेज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स आदि पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा।
- बिहार कौशल विकास मिशन के जिला इकाई द्वारा आवेदित केन्द्रों का स्थल निरीक्षण एवं आधारभूत संरचना की जाँच की जायेगी। तदोपरांत राज्य इकाई को केन्द्र के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जायेगी।
- राज्य इकाई द्वारा पोर्टल पर दर्ज विवरणियों का निरीक्षण एवं सत्यापन तथा केन्द्र के अनुमोदन हेतु अनुशंसा किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

- अनुशंसित केन्द्रों का अंतिम अनुमोदन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जायेगा।

प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन शुल्क

- गैर वापसी चयन शुल्क रू. 5000 प्रति केन्द्र (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित), प्रत्येक आवेदक से डेस्क अप्रैजल एवं ड्यू डिलिजेंस हेतु लिये जायेंगे।
- हालाँकि, बिहार कौशल विकास मिशन इस संबंध में कुछ संस्थाओं/कुछ प्रकार के केंद्रों/कुछ योजनाओं को आम तौर पर या विशेष रूप से आवश्यक समझे जाने पर किसी विशिष्ट को, इस शुल्क को बढ़ाकर या घटाकर या इसमें छूट देने का निर्णय ले सकता है।

प्रशिक्षण केन्द्रों का पंजीयन एवं वार्षिक नवीनीकरण

- प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के द्वारा कैलेण्डर वर्ष के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों में से कम–से–कम 30% प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करने की स्थिति में वह स्वतः अगले वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण हेतु पात्र हो जायेंगें। यह प्रावधान योजना की भविष्य में राज्य सरकार की स्वीकृति की परिस्थिति में ही लागू होगा।
- संतोषप्रद प्रदर्शन की स्थिति में केन्द्र पंजीयन का वार्षिक नवीनीकरण होगा।
- प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को रू. 2500 (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित) वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के तौर पर देना होगा।
- वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी जिसमें सभी केन्द्रों को नवीनीकरण हेतु एक ऑनलाईन अण्डरटेकिंग (शपथ–पत्र) देना होगा।

k A M.

Scanned with CamScanner

- प्रारंभिक पंजीकरण या उसके बाद कोई भी नवीनीकरण केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत तक ही वैध होगा, जिसमें केंद्र पंजीकृत/नवीनीकृत है अथवा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जैसा सूचना सूचित किया जाता है, जिसके बाद केंद्र के पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता कानूनी या अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

पंजीकृत केन्द्रों से कोर्स पंजीयन शुल्क

- प्रत्येक पंजीकृत कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को प्रति कोर्स रू. 1000 (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित) कोर्स पंजीयन शुल्क के तौर पर देना होगा।
- संतोषप्रद प्रदर्शन की स्थिति में कोर्स पंजीयन का वार्षिक नवीनीकरण होगा।
- प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को प्रति कोर्स रू. 1000 (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित) कोर्स के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के तौर पर देना होगा।
- वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी।
- प्रारंभिक पंजीकरण या उसके बाद कोई भी नवीनीकरण केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत तक ही वैध होगा, जिसमें कोर्स पंजीकृत/नवीनीकृत होता है अथवा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जैसा सूचित किया जाता है, जिसके बाद कोर्स के पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता कानूनी या अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

Scanned with CamScanner

पोर्टल उपयोग शुल्क

- रू. 1 प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रों को देय राशि में से कटौती की जायेगी। जिसका उपयोग बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जायेगा।

सुरक्षा जमा राशि

- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रू. 1000/– सुरक्षा जमा राशि के तौर पर देना होगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा सुरक्षा जमा राशि रू. 1000/– बिहार कौशल विकास मिशन के खाते में जमा करना होगा।
- सुरक्षा जमा राशि केवल उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को ही वापस की जायेगी।
- सुरक्षा जमा राशि बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रशिक्षणार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
- असफल भुगतान (यदि कोई हो) को प्रशिक्षणार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में वापस की जायेगी।

प्रशिक्षक की योग्यताः–

- NSQF पाठ्यक्रम के अनुरूप ।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक हेतु कुशल युवा कार्यक्रम के Learning Facilitator's के हितों को देखते हुये उनका प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कराते हुये प्राथमिकता दी जायेगी।
- Learning Facilitator's को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधित संस्था द्वारा कराया जायेगा।

प्रशिक्षण शुल्क राशि (दर)

- पूर्व के निर्धारित कुशल युवा कार्यक्रम के दर के अनुरूप ही प्रति प्रशिक्षणार्थी 40 रूपये प्रति घंटा की दर से ही देय होगा, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कटौती की जायेगी।

Scanned with CamScanner

- प्रशिक्षण शुल्क केवल प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध ही देय होगा।

प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान – अंतिम रूप से केवल प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के लिये ही देय होगा।

- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – पाठ्यक्रम की एक तिहाई अवधि पूरी होने पर या 1 महीना, जो भी बाद में हो, पाठ्यक्रम की अवधि के एक तिहाई के बराबर उपस्थिति वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए।
- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – पाठ्यक्रम की दो तिहाई अवधि पूरी होने पर या 2 महीना, जो भी बाद में हो, पाठ्यक्रम की अवधि के दो तिहाई के बराबर उपस्थिति वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए।
- प्रशिक्षण शुल्क का 40 प्रतिशत – अंतिम मूल्यांकन और प्रमाणन के पश्चात (पूर्व के सभी देय राशि के समायोजन के बाद) सभी प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध।

ट्रेनिंग कैलेण्डर

- किसी भी प्रशिक्षण बैच की शुरूआत माह के 1 या 15 तारीख को या योजना विशेष में वर्णित अथवा बिहार कौशल विकास मिशन के निर्देशों के अनुसार होगी। यदि इन तिथि में कोई भी सामान्य अवकाश होता है तो बैच प्रारंभ की तिथि आगामी कार्य दिवस होगी। प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि को आवश्यकतानुसार घटाने या बढ़ाने का अधिकार मिशन के पास सुरक्षित है।

बैच साईज

- न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 30 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच।
- क्लासरूम (प्रति प्रशिक्षणार्थी हेतु न्यूनतम 10 वर्ग फीट जगह)

Scanned with CamScanner

- लैबरूम (प्रति प्रशिक्षणार्थी हेतु न्यूनतम 10 वर्ग फीट जगह)
- न्यूनतम एवं अधिकतम बैच साईज को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा भविष्य में या तो आम तौर पर या विशेष रूप से संशोधित किया जा सकता है।

पठन–पाठन सामग्री का वितरण

- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रारंभ होने वाले बैचों के लिये कोर्स सामग्री बिहार कौशल विकास मिशन के नॉलेज पार्टनर एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

मासिक किराया :–

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रखंड स्तर पर केंद्र संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को निम्न रूप से मासिक किराया देना होगा–

क्र0 सं0	क्षेत्र की विवरणी	देय किराया
1.	पटना जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी भवन	रू0 3.00 प्रति वर्ग फुट प्रति माह
2.	पटना जिला को छोड़कर बिहार राज्य के अन्य जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी भवन	रू0 2.00 प्रति वर्ग फुट प्रति माह
3.	राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी भवन	रू0 1600.00 प्रति माह

- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को देय प्रशिक्षण शुल्क में से मासिक किराये की राशि घटा दी जायेगी। यह

Scanned with CamScanner

किराया भवन के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

- प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के द्वारा मासिक विद्युत विपत्रों के भुगतान की पुष्टि के पश्चात ही प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय–समय पर नगर निकायवार/प्रखंडवार संस्थाओं के मासिक किराये की राशि में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

केन्द्र का आधारभूत संरचना

प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को NSQF पाठ्यक्रम के अनुसार आधारभूत संरचना की व्यवस्था करनी होगी।

❖ **अन्य आधारभूत संरचनाः–**

- परामर्श क्षेत्र/रिसेप्शन क्षेत्र/कार्यालय क्षेत्र
- लेक्चर रूम/क्लास रूम
- कम्प्यूटर लैब
- साफ शौचालय
- पॉबर बैकअप
- यू०पी०एस०
- आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा (न्यूनतम–3)
- सुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था
- पुस्तकालय/किताब/सीडी/डीवीडी/इत्यादि
- सूचनापट्
- प्रकाश की समूचित व्यवस्था
- हवादार कक्ष
- सुझाव पेटी
- जूता/चप्पल रखने की व्यवस्था

Scanned with CamScanner

अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

निगरानी एवं अवलोकन :

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण, डिजिटल ट्रैकिंग एवं भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- प्रशिक्षण प्रदाता संस्था पर्याप्त संख्या में आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा (न्यूनतम–3), केन्द्रों पर अधिष्ठापित कराएँगे जिसका व्यय संबंधित संस्था के द्वारा ही किया जायेगा।
- अधिष्ठापित कैमरा लाइव फीड प्रदान करेंगे।
- मुख्यालय स्तर पर नियमित अनुश्रवण, डिजिटल ट्रैकिंग हेतु व्यवस्था बनाया जायेगा।
- जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण जिला कौशल प्रबंधक, जिला नियोजन पदाधिकारी एवं मिशन के पदाधिकारी करेंगे।

कौशल प्रशिक्षण केंद्र का मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशानिर्देश :–

क्र.स.	मानक	निरीक्षण के दौरान मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई			
		प्रथम निरीक्षण के समय	द्वितीय निरीक्षण के समय	तृतीय निरीक्षण के समय	चतुर्थ निरीक्षण के समय
1	केंद्र पर आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा (न्यूनतम–3) कैमरा स्थापित न होना, अधिष्ठापित कैमरा द्वारा लाइव फीड नहीं प्रदान किया जाना अथवा क्रियाशील न पाया जाना / पिछले 15 दिनों की CCTV रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होना / IRIS उपस्थिति का CCTV फुटेज से मिलान न होना / केंद्र पर पावर बैक अप (UPS आदि) उपलब्ध न होना।	स्पष्टीकरण एवं आवश्यक सुधार हेतु 15 दिनों का समय।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से 05% कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से 10% कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में केंद्र का पंजीयन रद्द।
2	BSDM को लिखित सूचना दिए बिना केंद्र बंद पाया जाना / पोर्टल पर दर्शाए गए पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर केंद्र संचालित पाया जाना।	स्पष्टीकरण एवं आवश्यक सुधार हेतु 15 दिनों का समय।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से 05% कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से 10% कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में केंद्र का पंजीयन रद्द।

Scanned with CamScanner

3	लैब में जॉब रोल मानक अनुसार अनिवार्य उपकरण (कंप्यूटर/प्रोजेक्टर / व्हाइटबोड / प्रिंटर / स्कैनर आदि) आवश्यक संख्या में उपलब्ध न होना।	स्पष्टीकरण एवं आवश्यक सुधार हेतु 15 दिनों का समय।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से **05%** कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से **10%** कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में केंद्र के नामांकन पर रोक।
4	पंजीकृत एवं ToT प्रमाणित प्रशिक्षक निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाया जाना।	स्पष्टीकरण एवं आवश्यक सुधार हेतु 15 दिनों का समय।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से **05%** कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से **10%** कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में केंद्र के नामांकन पर रोक।
5	नामांकन क्षमता के अनुरूप 40 % से कम प्रशिक्षनार्थियों का नामांकन।	स्पष्टीकरण एवं आवश्यक सुधार हेतु 30 दिनों का समय।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से **05%** कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय स्पष्टीकरण एवं केंद्र के विपत्र से **10%** कटौती।	आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में केंद्र नवीनीकरण से वंचित ।
6	IRIS से छेड़–छाड/फर्जी उपस्थिति / प्रतिरूपण (Impersonation) पाया जाना।	स्पष्टीकरण एवं अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिनों का समय।	IRIS से छेड़–छाड़ अथवा फर्जी उपस्थिति सिद्ध होने की स्थिति में केंद्र का पंजीयन रद्द करते हुए केंद्र को Debar कर दिया जायेगा साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।		
7	केन्द्र का संचालन वैध संचालक के द्वारा नहीं किये जाने अथवा सबलेटिंग के माध्यम से संचालन सिद्ध होने पर सम्बंधित केंद्र का पंजीयन रद्द करते हुए केंद्र को Debar कर दिया जायेगा साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।				

Scanned with CamScanner